

मान्यता कोड : RJSKR32577

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक SIKAR, राजस्थान

क्रमांक: ४२०७७ / मुख्यालय / ती / मान्यता / २०२२ / १५८८

दिनांक ०१/१२/२०२२

सचिव

प्रबंध समिति


VIVEKANAND PUBLIC SR. SECONDARY SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोत्तरि एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 42077 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए प्रश्नात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, VIVEKANAND PUBLIC SR. SECONDARY SCHOOL पता VPO. BAORI BLOCK KHANDELA ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय BAORI ब्लॉक KHANDELA आसा पासा (पूर्व -मध्य-उत्तर दक्षिण) gram post - bawadi tehsil- khandela खसरा न. 319/2,316/2,314/2,1717/320 को शैक्षणिक सत्र से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता भंजूर करता है:-


स्थान (पता) परिवर्तन			
वर्तमान में स्कूल का स्थान (पता)			
जिला	SIKAR	ब्लॉक	SHRI MADHOPUR
ग्राम पंचायत/पु. एल बी	NAGAR PALIKA Reengus	ग्राम/बाड़	Reengus (M) - Ward No.10
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)	NEEM NAGAR WARD NO. 10 RINGAS		
स्वीकृत स्थान (पता)			
जिला	SIKAR	ब्लॉक	KHANDELA
ग्राम पंचायत/पु. एल बी	BAORI	ग्राम/बाड़	Baori
विद्यालय का नवीन स्थान (पूरा पता)	VPO. BAORI BLOCK KHANDELA		
अतिरिक्त माध्यम के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम		Hindi	
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम		English	
विद्यालय का स्वीकृत कक्षा स्तर		1-12	
नाम परिवर्तन के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	VIVEKANAND PUBLIC SR. SECONDARY SCHOOL		
स्वीकृत नवीन नाम	GURUKRIPA SENIOR SECONDARY SCHOOL BAORI		
अतिरिक्त संकाय के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय का विवरण			
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Computer Science		
कला संकाय	Political Science, Geography, Hindi Literature, Drawing, Computer Science		
स्वीकृत अतिरिक्त संकाय का विवरण			
विज्ञान संकाय	Biology (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Mathematics (Science Stream), Physics (Science Stream)		
मान्यता का माध्यम	Hindi		

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / कमोन्ट्रिटि के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण का अनापति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जाएगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेदारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहाँ स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलकट्ट कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्त आदि) नियम, 1993 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नियशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नियशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समर्पणपत्र पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यता पालन करना होगा तथा वाहित सूचनाएँ/अभिलोक अधिकार उपलब्ध करवाने होंगी।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय नियरिति के समय विद्यालय के लिए नियरित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीप) घप किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं वरी जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रदित के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा नियरित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा नियरित प्रक्रिया से स्वीकृत प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होगी। मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की कमोन्ट्रिटि होने पर मान्यता के तर्फ में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अवधिपत्रत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/कमोन्ट्रिटि विधित तिप जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of Improper Use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, हॉटेल, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जाए, परंतु विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


जिला शिक्षा अधिकारी
(जुलिला शिक्षा अधिकारी)
मुख्यालय माध्यमिक

प्रतिलिपि नियमानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (मृप-5) विभाग, शासन संविधालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलकट्ट कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रवालित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करे।
5. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(जुलिला शिक्षा अधिकारी)
मुख्यालय माध्यमिक

प्रपत्र-2

कार्यालयःजिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सीकर

क्रमांक:-जिशिअ/प्राशि/सी/मान्यता/आरटीई/2012/१६०

दिनांक:-२१/३/१।।-

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्रबंध समिति,

निवेदित प्रश्नात्मक संस्कार, राजस्थान

विषय:- नियम ४-क के उप-नियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक २०/०७/।। और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये परम्परात्मक पत्र व्यवहार /निरीक्षण के संदर्भ में ने निवेदित प्रश्नात्मक संस्कार, राजस्थान (विद्यालय का नाम और पता) को _____ से _____ तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कहा। ते..... ५..... तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता है।

उक्ता मंजूरी निम्नलिखित राती की पूर्ती के अध्यधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कहा-४ से आगे मान्यता /सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का कन्दीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कहा-१ में या यथास्थिति पूर्व विद्यालय कहा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कहा की छात्र-संख्या की सीमा तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और अमाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैगा -३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. रोमाइटी /विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति कीस संग्ठीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छाटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के समूत्र के अमाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की घारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-
 (A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक
 केरी कहा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
 (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा,
 (C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना
 अपेक्षित नहीं होगा,
 (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल
 शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकारित प्रमाणपत्र प्रदान किया
 जायेगा,
 (E) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्यायता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को
 सम्मिलित किया जाये,
 (F) अध्यापक 2009 के अधिनियम की घारा 23 की उप-घारा (1)के अधीन अधिकारित न्यूनतम
 अहंताओं सहित भर्ती किये जायें, परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर

(2)

न्यूनतम अहंताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अर्जित करेंगे।

(G) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और

(H) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापक विधाकालापों नहीं बनायेंगे।

7. विद्यालय समुचित पाधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र 640 m^2 (2) कुल निर्मित क्षेत्र 360 m^2

(3) स्थेल-कूद के मैदान का क्षेत्र 100 (4) कक्षों के कमरों की संख्या 05

(5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष 11

(6) लटके और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचालय

(7) पीने के पानी की सुविधा (8) मिठ-डे भील पकाने के लिए रसोईघर

(9) अवशेष विज्ञाता सामग्री/खेल-कूद चप्पस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गेर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोड न्यास द्वारा बलाया जाएगा।

12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं बलाया जाता है।

13. निसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आंवित मान्यता कोड संख्या SMPK 177 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेंगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्राटेयों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जायें।

16. मामाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण यदि कोई हो सुनिश्चित करें।

17. इन सर्व संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

11.11.11. R.T.E के समृद्ध मान दृष्ट ३१ मार्च, 2013 तक अनिवार्य प्रयोग के लिए छाने द्यें।

राजस्थान
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा सीकर

दिल्लीनगर पश्चिम सी. से स्कूल कार्यालय आदेश

साईराज- नियम (तीव्रतावर्जनीज माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्डमेर के आदेश कलाक-
लिंगहरा-वायप/सा/अ-४ /21313/2010-11/ दिनांक 4-३-2010 एवं नियोजन द्वारा स्कूल प्रायमिक विद्यालयों को मिनी
दिनांक 14-५-2010 की राजस्थान में नीचे अकिलानुसार गैर सरकारी स्कूल प्रायमिक विद्यालयों को मिनी
दिनांक के अन्तर पर सत्र 2010-11 से माध्यमिक स्तर पर कमीन्सित की स्थीरता एवं द्वारा प्रदान की
जाती है। नियोजित विद्यालयों द्वारा परिवर्तन-१ में आदेश करने वायप पर एवं नियोजन दस्ती की सकाय
करने एवं नियोजित आवश्यक वायप/माध्यम शुल्क राखी जाने एवं नियोजन दस्ती की सकाय
एवं अतिरिक्त विषय वी अविभाषा किये जाने पर उक्त माध्यम/कमीन्सित प्रदान की जा रही है।

सभी डिमुकान वी मान नहीं करेगी। इन्हें सरकार शुल्क अनुदान देय नहीं होगा।

१- सभी ने प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा।

२- राजस्थान गैर सरकारी सीक्षण संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के प्रावधानों की व्योधित
पालन की जायेगी।

३- सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमों दि नियोजित की पालना करती रहेगी।

४- सभी सत्र 2010-11 में कक्ष 11वीं प्रारम्भ करेगी एवं उसकी बाद सत्र 2011-12 में 12वीं प्रारम्भ
करेगी।

५- सभी अतिरिक्त सकाय/विषय ऐतु पर्याप्त भवन एवं कक्ष वायप सभा प्रयोगशाला आदि की
प्राप्ति करेगी।

६- सभी नियोजित आवश्यक वायप रखना होगा।

७- सभी को आवश्यक सभा से प्रति तीन वर्ष के लिए भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सहाय स्तर से प्राप्त
कर इसकायीलय को प्रस्तुत करना होगा।

८- सभी तत्काल अस्थाई माध्यम हेतु प्रयङ्क-क भवकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की जाना करा
एवं अन्यथा कमीन्सित आदेश जारी किये गए सत्र के लिए प्राप्ति नहीं मान जायेगे एवं विनियम
शुल्क की बोर्ड

को देना होगा। प्रयङ्क-क की एक दृष्टि अनुकूलता, बीजामेर को भी प्रस्तुत जरनी होगी।

सभी एवं प्रयङ्क-क भवकर प्रस्तुत नहीं करने पर प्रशिक्षितों के परीक्षा से खिल रहने सभा

विषय शुल्क के भुगतान के लिए सम्पर्कित बाला प्रधान की विनियोग होगे।

९- विद्यालय वा नाम/सदृश/राजी/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विनायी स्थीरता प्राप्त करनी होगी।
विद्यालय को पते में दिया कियी राजकीय स्थीरता के परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं कमीन्सित
के परिवर्तन नीं विद्यालय का जांच दल सभा का नियोजन कर सकता है। यदि उस समय स्थान,
भवन एवं आवश्यक शुल्कों में कोई कमी यह गई हो सभा की भावता/ कमीन्सित नियोजन
कर दी जायेगी।

१०- एज्यट सरकार/विनाय द्वारा समय-समय पर प्रतासित आदेश/नियमों/नियोजित वी पालना करनी
होगी एवं बाहित स्थानों/आमिलेख उपलब्ध करायाने होगा।

११- शहरी क्षेत्रों में कक्ष 11वीं में छात्र संख्या 30 एवं छात्रा संख्या 20 से कम हो तो कक्षाएं आरम्भ
नहीं जो जावे।

उच्च माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त सकाय/विषय प्रारम्भ करने की स्थीरता मुद्दों सत्र 2010-11

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	सकाय	विषय	माध्यम
१	विकास विकास जमावि शमपुरा वैगा की नामाल	कला में विषय	विकास, गृहविज्ञान, अध्यकाश,	हिन्दी
२	मेषा काल विकास जमावि कालपुर	कला में विषय	विकास	हिन्दी
३	पाठ्यक्रम उपल. उपलब्ध सीरियस	वायिष्य	संस्कार वायप, व्यवसाय प्रबन्ध, जार्जिंग, एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित, एवं राजनीति, व्यावसायिक शूद्धना अध्ययन एवं अनुप्रयोग, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी

सचिव
दिल्लीनगर पश्चिम स्कूल संस्थान
दिल्ली (बीएस)

क्र०	विद्यालय का नाम	संकाय	विषय	लाइसेंस
4	सरस्वती विद्या मन्दिर उमावि दांताशमगढ़	कृषि	रमायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ग्रस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं दूध विज्ञान	हिन्दी
5	भगवती विद्या मन्दिर उमावि गोवडी	कला में विषय	चित्रकला, भूगोल, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
6	ज्ञानदीप उमावि गुरारा	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांखियकी, व्यावसायिक चूहना व्यवस्था एवं अनुप्रयोग, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
7	टंगार परिवक उमावि सिरोही	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांखियकी, व्यावसायिक चूहना व्यवस्था एवं अनुप्रयोग, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
		विज्ञान में विषय	भौविज्ञान	
8	शारदा सदन उमावि गोडी फाटक, नीमकाशामा	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांखियकी, टक्कन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
9	सरस्वती विद्या मन्दिर उमावि आगामाचा	कला में विषय	चित्रकला, अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
10	श्वामी विद्येकालनन्द उमावि ठिकरिया	विज्ञान	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
11	श्री आदर्श विद्या मन्दिर उमावि श्रीनाथोपुर	वाणिज्य में विषय	आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
12	सरस्वती बाल निवोत्तम उमावि अजीतगढ़	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, टक्कन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
13	आदर्श बाल उमावि घाला	कला में विषय	अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
		विज्ञान में विषय	जीवविज्ञान	
14	सनराईज शिक्षण संस्थान उमावि तपीपत्या	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
		कला में विषय	अंग्रेजी साहित्य	
15	सरस्वती आदर्श विद्या मन्दिर उमावि पाटन	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांखियकी, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
16	विद्येकालनन्द परिवक उमावि रोगता	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
17	शाजस्वान परिवक उमावि घोई	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांखियकी, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	संकाय	विषय	माध्यम
18	विद्या भारती शिक्षण संस्थान उमावि अजीतगढ़	वाणिज्य में विषय	आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
19	प्रगति बाल मन्दिर उमावि पाटन	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
20	प्रिस शिक्षण संस्थान उमावि खाटूश्यामजी	विज्ञान	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
21	फैफ्हस प०उमावि सावलपुरा अलोदा	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
22	टेगोर उमावि शिक्षण संस्थान कल्याणपुरा थोई	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
23	ज्योतिदा राव बाल भारती निकेतन उमावि नीमकाथाना	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
24	बाल भारती उच्च भाष्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
25	सेट जॉन पर्सनिक उमावि श्रीमाधोपुर	वाणिज्य में विषय वर्षा	आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राज० विज्ञान, भूगोल, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी

जिलो शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

दिनांक 15-5-2010

क्रमांक-जिंशिअ/मा०द्वि०/सी/मान्यता/2010-11/133

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप्त-5) दिभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4- शिक्षा उपनिदेशक, गांधीनिक, जयपुर उमावि, जयपुर
- 5- सम्पादक वैनिक
- 6- सम्बन्धित विद्यालय

सीकर को नि:शुल्क प्रकाशनाथ

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

विद्यालय एवं स्कूल संस्थान
नीम नगर, बाईपास-रींगस (सीकर) गोल

सचिव
विद्यालय पब्लिक स्कूल संस्थान
रींगस (सीकर)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, सौकर (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार ने पत्रबाब-प09(2) दिला-5/2005 जयपुर दिनांक 21.1.09 एवं 24.4.09 तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविर-माध्यम/ना/अ-4/21313/यो-2/2008-09/ दिनांक 5-6-2009 की पालना में नीचे अंकितानुसार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को निम्न जातों के आधार पर सत्र 2009-10 से उच्च माध्यमिक स्तर पर कमीन्ति की रूपीकृति एवं द्वारा प्रदान की जाती है। निम्नांकित विद्यालयों द्वारा परिविहार-1 में आवेदन करने, शपथ पत्र एवं अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने एवं निर्धारित आवधित कोष/मान्यता शुल्क राशि जमा करवाये जाने पर उक्त मान्यता/कमीन्ति प्रदान की जा रही है।

- 1- संस्था अनुदान की भाग नहीं करेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय नहीं होगा।
- 2- संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा।
- 3- राजस्थान गैर सरकारी शिक्षिक संस्था अंकितियम्, 1993 व नियम, 1993 के प्रावधानों की व्यवोचित पालना की जायेगी।
- 4- संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमों व निर्देशों की पालना करती रहेगी।
- 5- संस्था सत्र 2009-10 में कक्षा 11वीं प्रारम्भ करेगी एवं उसके बाद सत्र 2010-11 में 12वीं प्रारम्भ करेगी।
- 6- संस्था अंतिरिक संकाय/विषय हेतु पाठ्यक्रम भवन एवं कक्षा कक्ष तथा प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करेगी।
- 7- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण की समय अध्यक्ष विभाग द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कठोरताएँ पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।
- 8- संस्था की निर्धारित आवधित कोष इच्छा होगा।
- 9- संस्था को आवधित कोष से प्रति तीन दर्द के लिए भवन मुक्ति प्रदान पत्र सहज स्तर से प्राप्त कर दें।
- 10- कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। संस्था को मान्यता आदेश जारी होने के साथ ही बोर्ड से अस्वाई मान्यता हेतु प्रपत्र-क भरकर जमा करा दे अन्यथा कमीन्ति आदेश जारी किए गए सत्र के लिए प्रबन्धी नहीं जाने जायेगा एवं दिलम्ब शुल्क भी बोर्ड द्वारा देना होगा। प्रपत्र-क की एक प्रति आवधित संस्था बीकानेर को भी प्रस्तुत करनी होगी। समय पर प्रपत्र-क भरकर प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थीयों के परीक्षा से विचित्र रहने तथा दिलम्ब शुल्क वो शुल्कान वो लिए सम्बन्धित शाला प्रदान ही जिम्मादार होगे।
- 11- विद्यालय का नाम/भवन/दर्गा/माध्यम परिवर्तन के पूर्ण विभागीय रूपीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय के दर्गे में दिनांकित राजकीय रूपीकृति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं कमीन्ति को पर्याप्त भी करना होगा। यदि उस समय स्थान, भवन एवं आवधित विभाग का जाग दल संस्था का निरीक्षण कर रखता है। यदि उस समय स्थान, भवन एवं आवधित विभागों में कोई कमी पाई गई तो संस्था जी मान्यता/कमीन्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 12- एवं जाइल शुल्कानार्थी/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
- 13- शहरी दोजों में कक्षा 11वीं में प्राप्त संख्या 30 एवं छात्र संख्या 20 से कम हो से कमाए आरम्भ नहीं की जाए।

माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर कमीन्ति की सूची

सत्र 2009-10

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	माध्यम	संकाय समय ऐच्छिक विषय
			4
1	2	3	
1	आदर्श बाल विद्या मन्दिर, मिहाण संस्थान, मावि, हाथीदेह (खण्डेला)	हिन्दी	कला संकाय - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राजविज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान
2	गंगा बाल विद्या मन्दिर, मावि, भीमकाशाना	हिन्दी	कला वर्ग - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, राजविज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटरविज्ञान विज्ञान वर्ग - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित
3	इण्डियन पब्लिक मावि, लाम्पुवा, वाया-रीगस (श्रीमाठी)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, राजविज्ञान, चित्रकला, इतिहास,
4	विविकानन्द पब्लिक मावि, रीगस	हिन्दी	कला-हिन्दी सा०, भूगोल, राजविज्ञान, चित्रकला, कम्प्यूटरविज्ञान
5	विनायक शिक्षण संस्थान, मावि, रानीपुरा(कांसरडा) (खण्डेला)	हिन्दी	कला -हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, राजविज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, इतिहास, कम्प्यूटरविज्ञान
6	जे.आर.मेमोरियल शिक्षण संस्थान, मावि, चक गोपीनाथपुरा (दातापा)	हिन्दी	कला- हिन्दी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राजविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान
7	सरस्वती विद्या मन्दिर, मावि, भट्टा रेण्ड, जाजोद (खण्डेला)	हिन्दी	कला- हिन्दी सा०, भूगोल, राजविज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान

सचिव
विवेकनन्द पब्लिक स्कूल संस्थान
— (रीकार)

(2)

8	ज्ञानदीप मार्गि, गुरारा (खण्डला)	हिन्दी	कला - हिन्दीसा०, अंग्रेजीसा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान, समाजशास्त्र
9	बाल भारती मार्गि, पटवारी का बास (श्रीमा०)	हिन्दी	कला- हिन्दीसा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, इतिहास,
10	शास्त्री बाल माईयमिक विद्या मन्दिर, लिसाडिया (श्रीमा०)	हिन्दी	कला- हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
11	युनिक पब्लिक सेकेपडरी स्कूल, खण्डेला	हिन्दी	कला- हिन्दीसा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
12	श्री कृष्ण पब्लिक शिक्षण संस्थान, मार्गि, बासठीखुर्द (नीमा०)	हिन्दी	कला- हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, समाजशास्त्र, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
13	नगरपाली विद्या मन्दिर, मार्गि, गोवटी (दाता०)	हिन्दी	कला - हिन्दीसा०, राठविज्ञान, इतिहास,
14	सरदार पटेल पब्लिक मार्गि, सिन्धारला जागीर (श्रीमा०)	हिन्दी	कला- हिन्दीसा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
15	ग्रामीण आदर्श विद्या मन्दिर, मार्गि, लापुया (श्रीमा०)	हिन्दी	कला- हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, राठविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
16	मीरा चारित्र निर्माण शिला समिति, मार्गि, खूब (दाता०)	हिन्दी	कला वर्ग के विषय- हिन्दी सा०, अंग्रेजी ता०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटरविज्ञान विज्ञान वर्ग के विषय- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटरविधि०
17	महार्षि दयानन्द मार्गि, मोरी अस्पताल के सामने नीमकाथाना	हिन्दी	कला वर्ग के विषय- हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान, विज्ञान वर्ग के विषय- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित वाणिज्य वर्ग के विषय- लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान,
18	टंगोर शिक्षा संस्थान, मार्गि, मण्ड मटनी (दाता०)	हिन्दी	कला हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, राठविज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान,
19	प्रिन्स शिक्षण संस्थान, मार्गि, कैलाश, पो०-जालूण्ड, बाया-बाया(दाता०)	हिन्दी	कला वर्ग के विषय- हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राठविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान, विज्ञान वर्ग के विषय- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित
20	सेन्ट जॉन पब्लिक मार्गि, महोली (श्रीमा०)	हिन्दी	कला हिन्दीसा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, इतिहास,

(3)

21	ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान, मावि, धौगपुर (दाता०)	हिन्दी	कला वर्ग के विषय— हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य वर्ग के विषय— लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान,
22	प्रिन्स पब्लिक शिक्षण संस्थान, मावि, खाटूश्यामजी	हिन्दी	कला वर्ग के विषय— हिन्दीसा०, अंग्रेजीसा०, संस्कृतसा०, भूगोल, राठविज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, इतिहास, कम्प्यूटरवि वाणिज्य वर्ग के विषय— लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान,
23	संस्कार पब्लिक मावि, श्रीमाधोपुर	हिन्दी	कला— हिन्दीसा०, अंग्रेजीसा०, संस्कृतसा०, भूगोल, राठविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटरवि
24	खण्डेला विद्यापीठ शिक्षण संस्थान, मावि, खण्डेला	हिन्दी	वाणिज्य लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, आर्थिक एवं वित्तिय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान,
25	सरस्वती पब्लिक मावि, रामपुरा बेगा की नांगल (नीम०)	हिन्दी	कला हिन्दीसा०, अंग्रेजीसा०, संस्कृतसा०, भूगोल, राठविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटरवि, गृहविज्ञान, चित्रकला,
26	शहीद टी.आर पब्लिक शिक्षण संस्थान, मावि, मगनपुरा, वाया—वाया(दाता०)	हिन्दी	कला वर्ग के विषय— हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, राठविज्ञान, चित्रकला, कम्प्यूटर विज्ञान, इतिहास विज्ञान वर्ग के विषय— भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित वाणिज्य वर्ग के विषय— लेखाशास्त्र, व्यवसायप्रबन्ध, कम्प्यूटरवि

३।—

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक—द्वितीय, सीकर

दिनांक १५—६—२००९

क्रमांक—जिशिअ/मा०द्वितीय/सी/मान्यता/2009—10/०२

प्रतिलिपि— निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- १— शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप—५) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- २— सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
- ३— आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- ४— शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक जयपुर संभाग, जयपुर
- ५— सम्बन्धित विद्यालय

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक—द्वितीय, सीकर

सचिव
प्रियोनन्द पब्लिक स्कूल संस्थान
सीकर (सीकर)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, सीकर
कार्यालय आदेश

श्रीमान शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग, जयपुर के पत्रांक-प.9(2) शिक्षा-5/2005 दिनांक 28-5-2009 की पालना में निम्नांकित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को उनके हारा रूपये 15,000/- अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा कराये जाने पर शैक्षिक सत्र 2009-10 से कक्षा 11वीं के साथ 12वीं कक्षा प्रारम्भ करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। कक्षा 11 में जिन विषयों/संकाय में मान्यता प्रदान की गई थीं कक्षा 12 में भी वही विषय/संकाय पढ़े जावें। शेष शर्तें इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशानुसार बथावत रहेंगी।

क्र. सं	विद्यालय का नाम	माध्यम
1	2	3
1	आदर्श बाल विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, मावि, हाथीदेह(खण्डला)	हिन्दी
2	गंगा बाल विद्या मन्दिर, मावि, नीमकाथाना	हिन्दी
3	विदेकानन्द पब्लिक मावि, रीगस	हिन्दी
4	विनायक शिक्षण संस्थान, मावि, रानीपुरा(कांसरडा) (खण्डला)	हिन्दी
5	सरस्वती विद्या मन्दिर, मावि, भट्टा स्टेण्ड, जाजोद (खण्डला)	हिन्दी
6	ज्ञानदीप मावि गुरारा (खण्डला)	हिन्दी
7	शारदी बाल माध्यमिक विद्या मन्दिर, लिसाडिया (श्रीमा०)	हिन्दी
8	युनिक पब्लिक संकल्पदी स्कूल, खण्डला	हिन्दी
9	भगवती विद्या मन्दिर, मावि, गोवटी (दाता०)	हिन्दी
10	सरदार पटेल पब्लिक मावि, सिमारला जागीर (श्रीमा०)	हिन्दी
11	महार्षि दयानन्द मावि, मोदी अस्पताल के सामने, नीमकाथाना	हिन्दी
12	संस्कार पब्लिक मावि, श्रीमाधोपुर	हिन्दी
13	खण्डला विद्यार्थी शिक्षण संस्थान, मावि, खण्डला	हिन्दी

५१—
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

क्रमांक-जिलिङ्ग/मा०ा/ती/मान्यता/2009/ 05

दिनांक 15-6-2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— शासन सचिव, शिक्षा (गुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2— उपशासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4— सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
- 5— सम्बन्धित संस्था प्रधान


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

उमांकिष्ण । १०३ | प्रधान-5/2001

जयपुर, दिनांक : १९ जूलाई २००१

वारेंट

उच्च प्राधिक से माध्यमिक इहार पर तद २००४-०५ से अमोनिक्स संबंधी
जारी जारेंगे का परिचय [लूप १ से अलोकित नहीं पर]

इन्हीं पश्चात्तली संज्ञा, जिनका विवाह का नाम एवं पता
प-१०३ | प्रधान-5/०५

१.	१९	अलयर	मालवी दिल्ली रक्षा, छोदामेह, पी-एन-डी-के पौरी, अलयर।
२.	२३	-*-	दीनांकी घनारसी देवी उच्च प्राधिक विवाहना, महाराजा जला, तहसील गुण्डायर, अलयर
३.	२२	-*-	दास भारती उच्च प्राधिक विवाहना, करुनर, अलयर
४.	१३	-*-	पूर्णाधर्म परिवर्तन रक्षा, महानगर तहसील अलयर
५.	२७	-*-	सीति काली दास निवेदन विवाहना, पिनाम, अलयर
६.	७२	चन्द्र	आदर्श दास निवेदन, चाल, मुन्हुनु
७.	४४	-*-	पी-एन-डी-के प्रधान विवाहना, मैथिर, मुन्हुनु
८.	३३	-*-	आजानक हिन्दू परिवर्तन रक्षा, प्रभात लिंगेश्वर के पाँ चाल
९.	६३	झोल्दूर	उच्च प्राधिक विवेदन, नारायण कोलोनी, पस-पी- डोठो के दास जी-टी-रोड, झोल्दूर
१०.	६२	-*-	शीघ्रत राम भविर उच्च प्राधिक विवाहना, काल्यस्थ पाठो दास, झोल्दूर
११.	६६	-*-	उच्च प्राधिक छे-एन-परिवर्तन रक्षा, पिरोड़ी,
१२.	१७	जोधपुर	ग्रामकर गणेशरो परिवर्तन रक्षा, सेवर-२ हडो आतासनी, जोधपुर
१३.	६७	-*-	धो दास विहार रिक्षा दरवान, उ०प्रा०००० साजायास, जोधपुर
१४.	६५	छाउमेर	टाटो टाटो परिवर्तन उ०प्रा००००, लक्ष्मीगुरा गांवी काली के दास, छाउमेर
१५.	६२	भीलवारा	भारी विवाहपोठ, उ०प्रा०००० जासीन्द, भीलवारा
१६.	१८	भरतपुर	परिवर्तन परिवर्तन रक्षा, १२-क, १२८ लिलक नगर, देवदास विवाहना, दृजनगर, भरतपुर
१७.	६२	-*-	प्रिय वासी विवाह गमिति उ०प्रा००००, रुदावन,
१८.	०२	-*-	प्रिय दास विवाह भविर, ग्राम दूर्गा, भीलवारा
१९.	६७	बोकानेर	दास विवाह उ०प्रा००००, खुषायास, पुर
२०.	०६	छु	

उत्तराधिकारी... २... १

सचिव
मिशन एवं परिवर्तन रक्षा संस्थान
दीनांक (विवरण)

ग्रामक्रमांक : १०३५४६७२०१

जमशुर, दिनांक: ९ JUN 2004

सन्दर्भ,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अमेर।

विषय : गैर सरकारी विद्यालयों को उच्च प्राधिकार से माध्यमिक
स्तर पर क्रमोन्नति द्रुदान करने के लिए।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संलग्न परिचयट पे अनुसार
गैर सरकारी उच्च प्राधिकार विद्यालयों को पेनल एवं जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) की अनुशंशा के पार सभी स्तर पर क्रमोन्नत उपराज्य नियन्त्रित
विद्यालयों को सबू २००४-०५ से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत की स्वीकृति
निम्न शर्तों के बाह्यार वर ग्रदान की जाती है ।-

०१. सहज अनुदान की यांग नहीं करेगी ।
०२. संस्था में प्रतिविधि अध्यापनों को ही नियुक्त किया जायेगा ।
०३. राजस्थान और सरकारी शैक्षण मंस्तक अधिनियम, १९८९ व नियमि. १७७३ के
प्रावधानों को यथोचित पालन की जायेगी ।
०४. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियन्त्रणमन्त्री व नियंत्री की पालना करती होगी ।
०५. प्रत्येक संस्था में इन संकाय एवं विद्यार्थी में कठा द्वयों प्रारम्भ की जायेगी एवं
इसके बाद कठा १०वीं ।
०६. नियंत्रित संकाय एवं विद्या के लिये संस्था को पर्याप्त मध्य एवं वृक्षोग्नशाला
आदि जौ आवश्यक उत्तरी होगी । यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका
नियंत्रण के समय इनमें डोप्परी दाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त
करने की कार्रवाई करते वर भी ठिकार छिया जायेगा ।
०७. शिक्षा बोर्ड नियंत्रित आवश्यक लोध रखा होगा एवं मध्य सुरक्षा के संबंध में
प्रति लव्ह समय अधिकारी से जावायक प्रामाण्यात्र लेना होगा ।
०८. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अमेर ते गोद्वार द्वी डाकेटन एवं क्रमान्वया घेह
ग्राम-क्रान्त कर खार क्रियाएँ भूमिकालय की द्वेष्टा करें ।
०९. विद्यालयों के पासे में जिला प्रिसी राज्योक्ति स्वीकृति के गारिवर्तन नहीं
जिला जाके एवं क्रमोन्नति के प्रश्नात भी विश्वास का जांघ दल संस्था का
प्राप्तीकरण कर सकता है । यदि उस समय छायान, मध्य एवं आवायक सुविधाओं
में लोई बयो दाई गई तो दंस्था जौ क्रमोन्नति निरस्त कर दी जायेगी ।

बार-के-डे
परिचयट शासन मंत्रिय, शिक्षा

सचिव
प्रैफेक्यान्ड प्रिलिक रेक्टल संस्थान
रींगरा(सीकर)

लिखित विद्यालयों की सूची एवं आवश्यक राशियाँ निम्न प्रिक्षित हैं :-

०१. निदेश, माध्यमिक विद्या, राजा बीकाईर ।
०२. उप इमारत, ग्राम, माध्यमिक विद्या द्वारा विद्यालय ।
०३. चिकित्सालय, निदेश द्वारा विद्यालय ।
०४. मंदिरिल फ़िला रिया वोड्डारी, माध्यमिक विद्या ।
०५. लोधिल लंडा प्रधान ।
०६. रायल प्रजापति ।

अधिकारी

21.	07	पुर्ण	शिंगांडी वाल निकेतन, रत्नगढ़, कु आरप्रभा वाल प्र० प्र० विद्यालय, सामोदा ली, मिट्टी, मठाई-गाडीदूर में गोज परिकलक हृष्ट, जाम्बी नाम, १०२५४ निकेतन सेन्ट्रल एंड हांगी विद्या वालोंनी,
22.	18		
23.	०५		
24.	०७	ज्ञानपुर	लेखाक्षी परिकलक हृष्ट, ताखारा जो उम्मी सातली पं० स० ठोड़, सौकर गुनिक प्रियंक सैह्यान, चक्रवाह जोड़, १०२५४
25.	०१	सौकर	विशेषज्ञन द परिकलक हृष्ट, -
26.	२०		आलम परिकलक चूप, प्र० प्र० विद्यालय, ग्रामांडी
27.	१०		गाड़ा रींगम जिला-सीनीर रोपनका वाल विद्या निकेतन, रत्नवे रट्टन-
28.	२४		दाम लक्ष्मणगढ़, सौकर
29.	२५		

~~अधिकारी~~

॥ गार-कै-जै ॥
विशेषज्ञ शासन संचित, १०२५४

‘**לְזַעַם** תִּמְצֵא בְּבָנֶיךָ וְבְנֵי-בָנֶיךָ וְבְנֵי-בָנֵיךָ’

Page: 558

Printed: 9-6-99

• नियमित विद्युतान्वयन के अन्तर्गत हो जाएगा। अब जो
विद्युत लेंगे उसका प्रयोग के अन्तर्गत हो **विद्युतान्वयन के अन्तर्गत**
होगा। इसके बाहर के ~~विद्युतान्वयन के अन्तर्गत~~ विद्युतान्वयन के अन्तर्गत
नहीं होगा। इसके बाहर के विद्युतान्वयन के अन्तर्गत हो जाएगा।
उदाहरण - १०८ रुपये से २०१५-२०१६ तक के बदले **VPP & VPP**
विद्युतान्वयन के अन्तर्गत हो जाएगा। तभी विद्युतान्वयन के अन्तर्गत हो जाएगा।
परन्तु यह अन्तर्गत हो जाएगा मैं विद्युतान्वयन के अन्तर्गत हो जाएगा।
विद्युतान्वयन के अन्तर्गत हो जाएगा।

६१० गिराव ने अपनी स्त्री का ५० रुपयों का लाभ प्राप्ति किया था जो वापरे ।

६२० राधाकृष्णन जिसे खेड़ी का उत्तराधिकारी नामे + + +

६३० बदायूँ को दूषित करने के - - - - - अवधारक और लगाने वापरे और वहाँ
जो लगाये वारे गुरिहित हो लगाये भी हैं ।

६४० भारत, काशी इयों का नियुक्ति में विभागों, राजियों द्वारा वापरे ।

६५० गिराव में लायरत कांडियों को राजसीय विभागों द्वारा वापरे एवं उत्तराधिकारी
की रुपयों का उत्तराधिकारी वापरे ।

६६० अन्यान्य विभागों का वापरे विभाग वापरे विभाग, विभाग विभाग
विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग

६७० विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग

६८० विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग

1937-38 2nd year
S. S. & R. Co. - 1938

~~प्राचीन विद्या का अध्ययन~~ प्राचीन विद्या का अध्ययन
प्राचीन विद्या का अध्ययन
प्राचीन विद्या का अध्ययन

ਫਿਰੀ: 199/558 ਮਾਮਲਾ/ਪ੍ਰ-ਵੱਡਾ/ਪੰਜਾਬ। ਦਿਨ: 9-6-99

प्रतिक्रिया विमानों के समान एवं आवश्यक समय लेने की तरह है।

1-7000 फैट नियंत्रित करने की विधि - श्रीमान् देवेन्द्र

२०८ भारत सरकार ने इसका विवरण किया है।

$$g = -\alpha \tau^{-1} = -\frac{1}{2}\pi \omega_0^2$$

ବ୍ୟାକ୍ ପରିଚୟ

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

स्वचिव
विषेशात् परिकृत संस्कृत
रीति (चीवर)